Hindustan | Page 4 | 26 February, 2019

जीएसटी पंजीकरण के फायदे बताये

हल्द्वानी | वरिष्ठ संवाददाता

अगर आप 20 लाख से अधिक का कारोबार कर रहे हों तो आपको जीएसटी में पंजीकरण कराना जरूरी है। जीएसटी में पंजीकरण कराने के आपको कई फायदे मिलेंगे। इससे कम राशि का कारोबार करने वाले व्यक्ति चाहें तो जीएसटी में पंजीकरण करा सकते हैं पर उन्हें 20 लाख की मौद्रिक सीमा का लाभ नहीं मिलेगा।

यह बात सोमवार को राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त विनय ओझा ने नगर निगम सभागार में फल-सब्जी उत्पादकों को लघु उद्यमियों के रूप में परिणत करने के मकसद से आयोजित कार्यशाला में कही। वहीं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशाला का सोमवार को समापन हो गया। अंतिम दिन आयोजित कार्यशाला में केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। सोमवार को नगर निगम में केन्द्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हुई कार्यशाला में मुख्य अतिथि सीडीओ विनीत कुमार ने उद्योगों को प्रोत्साहित करने की सरकार की योजनाओं के बारे में बताया।

हल्द्वानी के नगर निगम में सोमवार को एमएसएमई को लेकर कार्यशाला हुई। • हिन्दुस्तान

ASSOCHAM IN THE NEWS

Dainik Jagran | Page 6 | 26 February, 2019

आयोजन नगर निगम सभागार में प्रधानमंत्री की ओर से घोषित एक जिला एक उत्पाद योजना की सीडीओ ने दी जानकारी

हल्द्वानी में उद्यमियों को दिए उन्नति के टिप्स

जासं, हल्द्वानी : प्रधानमंत्री की ओर से घोषित एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सोमवार को नगर निगम के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि जनपद के मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार ने उद्यमियों को बागवानी बोर्ड, औद्योगिक विकास योजना 2017, महिला विशेष प्रोत्साहन योजना आदि के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला की सार्ककता तभी है, जब कोई उद्यमी उद्योग स्थापित कर रोजगार का सृजन करेगा। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने लोगों को सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग से रोजगार सृजन करने के तरीके बताए। कार्यशाला में मुख्य उद्यान अधिकारी भावना जोशी, जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक योगेश चंद्र पांडे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टम्टा, कर्मचारी बीमा निगम के प्रबंधक ललित शर्मा व अन्य विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अधिकारियों ने लोगों को अपनी विभागों की जानकारी देते हुए रोजगार में किस तरह मुनाफा कमाया जाए बताया। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग के विशेषज्ञ आदि मौजूद रहे।

नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यशाला में मंचासीन सीडीओ विनीत कुमार

ASSOCHAM IN THE NEWS

Amar Ujala | **Page 3** | **26 February, 2019**

एक जिला एक उत्पाद कार्यशाला का समापन

हल्द्वानी। केंद्र सरकार के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जा रहे जागरूकता व अभिप्रेरणा कार्यक्रम का सोमवार को समापन हो गया।

संबोधित करते महाप्रबंधक उद्योग

हल्द्वानी नगर निगम सभागार में आयोजित समापन अवसर पर पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार ने कार्यशाला चलाये जाने की सराहना की तथा क्षेत्रीय लोगों से उक्त कार्यक्रमों से लिये गए अनुभव के बाद विभिन्न विभागों द्वारा जारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये कहा। उन्होंने कहा कि महिला व बेरोजगार लोग इन योजनाओं का लाभ लेकर स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने व रोजगार सुरजन को दृष्टया रखते हुए जनपद में आयोजित एमएसएमई कार्यशाला के अंतर्गत अंतिम कार्यशाला का आयोजन हल्द्वानी नगर निगम हल्द्वानी के सभागार में आयोजित हुआ। कार्यशाला में मुख्य उद्यान अधिकारी भावना जोशी, प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र योगेश चंद्र पांडे, राकेश वर्मा, एसोचैम के अधिकारी ऋषि कुमार कौशिक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टम्टा, प्रबंधक कर्मचारी बीमा निगम ललित शर्मा, लीड बैंक प्रबंधक एसएस जंगपांगी, सहायक आयुक्त राज्य कर विनय ओझा, डा. राहुल आदि ने विभागों की योजनाओं के सम्बंध में जानकारियां दीं।

एक जिला, एक उत्पाद कार्यशाला का समापन

हल्द्वानी। एक जिला एक उत्पाद के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने व रोजगार सृजन के लिए जनपद में आयोजित कराई जा रही एमएसएमई कार्यशाला का समापन पर जीएसटी में पंजीकरण करने के फायदों के बारे में बताया गया। नगर निगम सभागार में राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त विनय ओझा ने बताया कि सालाना 20 लाख से कम का व्यापार करने वाले कारोबारी भी जीएसटी में पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन उन्हें इस मौद्रिक सीमा का लाभ नहीं मिलेगा। पंजीकृत होने वाले व्यापारी लाभ के रूप में किसी भी खरीद पर दिए कर को लाभ इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में ले सकेंगे। वहां जिला उद्यान अधिकारी भावना जोशी, जिला उद्योग केंद्र के योगेश पांडेय, सहायक लीड बैंक प्रबंधक राहुल चौहान आदि थे। ब्यूरो